रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-02082025-265150
CG-DL-W-02082025-265150

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 24] नई दिल्ली, जुलाई 13—जुलाई 19, 2025, शनिवार/आषाढ़ 22—आषाढ़ 28, 1947
No. 24] NEW DELHI, JULY 13— JULY 19, 2025, SATURDAY/ASHADHA 22—ASHADHA 28, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 94.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर समूह 'ग' (अराजपत्रित) भर्ती नियम, 2010 को, जहां तक उनका संबंध सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, नागपुर में सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-**(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल अकादमी, सहायक (समूह - 'ख' पद) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त में होंगे।

				Directorate General of Health Services -Member. Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of.- 1. Additional Medical Superintendent, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital - Chairperson; 2. Head of the concerned Department, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member; 3. Deputy Director Administration, Dr. Ram Manohar Lohia Hospital -Member; 4. Deputy Director (concerned) in Directorate General of Health Services -Member.	

[F. No. A. 11018/02/2023-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 2025

सा.का.नि. 101.—राष्ट्रपति,संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सफ़दरजंग अस्पताल (तृतीय श्रेणी पद), भर्ती नियमावली, नई दिल्ली, 1973, को, जहाँ तक उनका संबंध लेबोरेट्री तकनीशियन (ईईजी) के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए,जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, प्रयोगशाला तकनीशियन (ईईजी), सफ़दरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, में भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं,अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, प्रयोगशाला तकनीशियन (ईईजी), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद - संख्या, वर्गीकरण,और वेतन मैट्रिक्स में स्तर-** उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि-** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता:** वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है,विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति:** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति:** इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद याअचयन पद।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रयोगशाला तकनीशियन(ईईजी)।	13* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -6 (35400-112400 रुपये)।	लागू नहीं होता ।	आयु 18 से 30 वर्ष के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में पाँच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथा विज्ञापित की जाएगी। ।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से क्लीनिकल न्यूरो एलेक्ट्रो-फीजियोलॉजी और टेक्नॉलजी में विज्ञान में स्नातक की डिग्री; या (ii) किसी मान्यताप्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रम के दौरान न्यूरोक्लेक्टोफिजियोलॉजी लैब में कम से कम छह महीने की इंटर्नशिप सहित वोकेशन (मेडिकल इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी) में स्नातक, या (iii) इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल संचार इंजीनियरिंग में प्रौद्योगिकी स्नातक और न्यूरोइलेक्ट्रोफिजियोलॉजी प्रयोगशाला, संस्थान या विश्वविद्यालय में एक वर्ष का अनुभव, या (iv) किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से क्लिनिकल न्यूरोइलेक्ट्रो-फिजियोलॉजी और प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा; और एक वर्ष के लिए प्रयोगशाला में न्यूरोलॉजिकल डायग्नोस्टिक उपकरण को संभालने का अनुभव। **टिप्पण-1**: अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएंगे, शिथिल की जा सकती हैं। **टिप्पण-2 :** अनुभव संबंधी अर्हताएं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार, उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाएं,तब शिथिल की जा सकती हैं, जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग या सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष । **टिप्पण**: परिवीक्षा को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण पूरा करना आज्ञापक होगा।	प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा।	**यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वायत्त या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थान के ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग अथवा समतुल्य पद पर वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रुपये/-) में नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में 06 (छह) वर्षों की नियमित सेवा की हो; और (ख) जो कॉलम (7) के अधीन सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहितअर्हताएँ और अनुभव रखते हों। **टिप्पण 1:** प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) की अवधि शामिल है, साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति (जिसमें अल्पकालिक संविदा भी शामिल है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख़ को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए): 1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल - अध्यक्ष; 2. उप- निदेशक (संबंधित), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - सदस्य; 3. उपनिदेशक (प्रशासन), सफदरजंग अस्पताल - सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं. ए.12018/11/2022-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

New Delhi, the 8th July, 2025

G.S.R. 101.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of The Safdarjang Hospital (class III posts) Recruitment Rules, 1973, in so far as they relate to the post of Laboratory Technician (EEG) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Laboratory Technician (EEG) in the Safdarjung Hospital, New Delhi, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. **Short title and commencement.** -(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Laboratory Technician (EEG), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in pay matrix.-**The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. -** No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**	**Whether selection post or non selection post.**	**Age -limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Laboratory Technician (EEG)	13* (2025) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level - 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400)	Not applicable	Between 18 and 30 years of age. (Relaxable for Government servants up to the five years inaccordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note:** The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	(i) Bachelor's Degree in Science in Clinical Neuroelectro-physiology and Technology from a recognised institution or University, or (ii) Bachelor of Vocation (Medical Electrophysiology) including at least six-month internship in Neuroclectrophysiology lab during the course from the recognised institution or University, or (iii) Bachelor of Technology in Electronics and electrical communications engineering and one year experience in Neuroelectrophysiology laboratory, institution or University, or (iv) Diploma in Clinical Neuroelectro-physiology and Technology from a recognised institution or University; and

						Experience in handling the Neurological Diagnostic equipment in a Laboratory for one year. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for reasons to be recorded in writing in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2:** Qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission or competent authority for the reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission or competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(8)	**(9)**	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Not applicable.	Two years **Note:** There shall be a	By deputation (including	Deputation (including short-term contract): Officers under the	Group 'B' Departmental confirmation	Consultation with the Union Public Service

	mandatory training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government	short-term contract) failing which by direct recruitment.	Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or Universities or recognised research institutions,- (A) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years' of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level-5 of the pay matrix (Rs. 29200-92300) or equivalent in the parent cadre or department; and (B) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation (including short-termcontract) inclu-ding the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately pre-ceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. **Note 2:** The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.	Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Additional Medical Superintendent, Safdarjang Hospital – Chairperson; 2. Deputy Director (Concerned) in Directorate General of Health Services– Member; 3. Deputy Director Administration, Safdarjung Hospital– Member.	Commission is not necessary.

[F. No. A.12018/11/2022-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.